नहालियम मक्किल रविन्द्रन

बनाम

केरल राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 801/2008)

5 मई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

केरल आबकारी अधिनियम-एस.एस.55 (क)-आरोपी के कब्जे में अर्क पाया गया। विचारण न्यायालय ने धारा 55(क) के अधीन तीन साल का कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। अपीलीय न्यायालय ने दोषीसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा घटाकर एक साल कर दी-उच्च न्यायालय ने आदेश बरकरार रखा-लेकिन अपील में धारित कियाः अभियुक्त धारा 55(क) के अधीन दोषी था। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सजा घटाकर नौ माह का कारावास कर दी, हालांकि एक लाख के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के कब्जे में कर्नाटक में बना 4 लीटर अर्क पाया गया। अभियोजन पक्ष को आगे बढ़ाने के लिये पाँच गवाहों का परीक्षण किया गया। विचारण न्यायालय ने उसे धारा 55(क) केरल आबकारी अधिनियम, 1077 के अधीन दण्डनीय अपराध के अधीन दोषी पाया तथा उसे तीन वर्ष के साधारण कारावास और व्यतिक्रम की शर्त के साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अपीलीय न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा घटाकर एक वर्ष कर दी। रिवीजन में, उच्च न्यायालय ने, आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिये वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने धारित कियाः वर्तमान मामला उनमें से एक है जो धारा 55(क) केरल आबकारी अधिनियम, 1077 के अंतर्गत आता

है। केरल आबकारी अधिनियम, 1077 की धारा 55 में दो प्रकार की सजाओं का प्रावधान है। एक खण्ड (डी) और खण्ड (ई) के अंतर्गत आने वाले अपराध के अलावा अन्य अपराध से संबंधित है। जहाँ कारावास 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में जुर्माना जो एक लाख से कम नहीं होगा। खण्ड(डी) और खण्ड(ई) के तहत अपेक्षाकृत कम अवधि की सजा है, जो एक साल तक बढ़ सकती है या वैकल्पिक रूप से जुर्माना जो 10 हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों। न्यूनतम सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सजा की अधिकतम अवधि 10 वर्ष का कारावास है।

साथ ही बिना किसी अपवाद के एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी वैधानिक प्रावधान है, हालांकि, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए सजा को घटाकर 9 माह करने का निर्देश दिया गया। जुर्माने की जो रकम जमा होने की बात कही गई है, उसे बरकरार रखा गया। (पैरा 8,9 और 10)(713-सी, डी, ई, एफ)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः अपराधिक अपील संख्या 801/2002

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम का निर्णय आपराधिक निगरानी याचिका संख्या 2424/2007 आदेश दिनांकित 04.07.2007

शाबू श्रीधरन, पी.ए. नूर मुहम्मद और रामेश्वर प्रसाद गोयल -अपीलार्थी की ओर से

आर. सतीश- उत्तरदाता की ओर से

निर्णय सुनाया गया द्वाराः- डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता की ओर से दायर निगरानी याचिका को खारिज करने के निर्णय को चुनौती दी गई, जिस पर आरोप था कि दिनांक 13.08.1999 को अभियुक्त के कब्जे में कर्नाटक

में बना चार लीट अर्क पाया गया जो 40 पैकेट में था। प्रत्येक में 100 मिली. था। यह धारित किया गया कि अभियुक्त केरल आबकारी अधिनियम, 1077 की धारा 55(क) के अधीन दोषी पाया गया।

3. विधि लागू की गई क्योंकि अभियोजन द्वारा पाया गया कि आरोपी के कब्जे में शराब थी जो अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन था। अभियोजन पक्ष के मामले को आगे बढ़ाने के लिये पाँच गवाह परीक्षित करवाये गये। अभियुक्त ने निर्दोष होने का कथन किया। माननीय सहायक सत्र न्यायाधीध एन.एच. थालास्सेरी ने अपीलकर्ता को अपराध कारित करने का दोषी पाया और उसे तीन वर्ष के साधारण कारावास और व्यतिक्रम की शर्त के साथ एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई। थालास्सेरी सत्र न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, जो खारिज हो गई। रिवीजन में, मुख्यतः विवाद उठाया गया कि आरोपित अपराध दिनांक 13.08.1999 को कारित किया गया और जप्तशुदा सम्पत्ति न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.08.1999 को पेश की गई, जोकि तीन दिनों का विलम्ब था, घातक था। उच्च न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया गया कि अधिरोपित सजा अधिक थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि पी.ड. 4 पुलिस उपनिरीक्षक, इरिव्टी और उसके पुलिस दल को अपराध की जानकारी दिनांक 13.08.1999 को हुई, जब वे गश्त ड्यूटी पर थे। जब वे बस स्टाप के पास पहुंचे तो तब उन्होंने अभियुक्त अपीलकर्ता को बस से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में कपड़े का बैग था। संदेह होने पर पी.ड. 4 ने उसे रोकने की कोशिश की तब आरोपी तेजी से सड़क पार करके भाग गया। उसका पीछा किया गया और वह पुलिस दल द्वारा पकड़ लिया गया। उसके हाथ में पाए गए कपड़े के बैग की तलाशी लेने पर उसमें किसी तरल पदार्थ के 40 पैकेट पाए गए, जो कि अवैध शराब होना संदेहास्पद हुआ। प्रतिबंधित शराब को जप्त किया और अभियुक्त के कब्जे से बरामद सामग्री 40 पैकेट में से दो पैकेट एक बोतल में खाली किये गये और सील किए गए। सैम्पल लेकर बोतल

जप्त की गई, अभियुक्त और उससे जप्त सामग्री को पुलिस थाना ले जाया गया और मामला पंजीबद्ध किया गया। सामग्री शाम 6.40 बजे कब्जे में ली गई, नमूने दिनांक 16.08.1999 को न्यायालय के समक्ष पेश किए गए और तब तक वे सुरक्षित अभिरक्षा में थे। मजिस्ट्रेट का पत्र स्पष्ट से दर्शाता है कि जब सामान उनके समक्ष पेश किया गया तब वह पैक और सील्ड थे।

4. रासायनिक विश्लेषक (प्रदर्श पी.6) की रिपोर्ट से पता चलता है कि नमूना बोतल की सील अलग से भेजे गये नमूना सील से मेल खाती है। यह नोट किया गया था कि केरल राज्य में अरक का कब्जा, आयात और निर्यात लेनदेन, भण्डारण और बिक्री पर पूरी तरह से दिनांक 03.06.1997 से प्रतिबंध लगा दिया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने दोषसिद्ध को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया, लेकिन सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया। पुनरीक्षण, में उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किये कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से दोषसिद्धि का मामला नहीं बनता है और हर स्थिति में सजा कठोर है।

6. दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता-राज्य ने आदेश का समर्थन किया।

7. अधिनियम की धारा 55 जहाँ तक प्रासंगिक है, इस प्रकार हैः-

> "अवैध आयात, आदि के लियेः-जो कोई भी इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करता है"-
>
> (a) शराब या किसी नशीली दवा का आयात, निर्यात, परिवहन, पारगमन करता है या अपने कब्जे में रखता है,या
>
> (b) शराब या कोई नशीली दवा बनाता है, या

(c) XXX

(d) किसी ताड़ी उत्पादक पेड़ को काम में लेने या लाने के प्रयोजन के लिये,या

(e) किसी पेड़ से ताड़ी निकालता या निकलवाता, या

(f) किसी आसवनी, शराब की भट्ठी, वाइनरी या अन्य कारखाना का निर्माण या काम करता है, जिसमें शराब का निर्माण होता है, या

(g) ताड़ी या किसी नशीली दवा के अलावा शराब बनाने के प्रयोजन के लिये किसी सामग्री स्टील बर्तन उपकरण या उपकरण का उपयोग करता है या अपने कब्जे मेंरखता है, या

(h) बिक्री के प्रयोजनों के लिये किसी भी शराब की बोतलें, या

(i) शराब या कोई नशीली दवा बेचता है या बिक्री के लिये भाण्डारित करता है, दण्डनीय होगा।

1. खण्ड (डी) या (ई) के तहत आने वाले अपराध के अलावा किसी भी अपराध के लिये कारावास से जिसे 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा और-

2. खण्ड(डी) या (ई) के तहत आने वाले अपराध के लिए कारावास से जिसे एक वर्ष की अवधि तक बढाया जा सकता है, या जुर्माना जिसे दस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों।

<u>स्पष्टीकरणः-</u> इस धारा और धारा 64(क) के प्रयोजन के लिये "नशीली दवा" का अर्थ है, कोई नशीला पदार्थ, जो स्वापक औषधि एवं

मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985(1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61) द्वारा विनियमित स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के अलावा हो जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नशीली दवा घोषित करे।"

8. निर्विवाद रूप से मौजूदा मामला अधिनियम की धारा 55(क) के अंतर्गत आता है। धारा 55 में दो प्रकार की सजाओं का प्रावधान है। एक खण्ड (डी) और खण्ड (ई) के अंतर्गत आने वाले अपराध के अलावा अन्य अपराध से संबंधित है। जहाँ कारावास 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में जुर्माना जो एक लाख से कम नहीं होगा। खण्ड(डी) और खण्ड(ई) के तहत अपेक्षाकृत कम अवधि की सजा है, जो एक साल तक बढ़ सकती है या वैकल्पिक रूप से जुर्माना जो 10 हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों।

9. शब्द "दो साल और जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा", 1997 के अधिनियम 16 द्वारा दिनांक 03.06.1997 को अभिव्यक्ति "दस वर्ष और जुर्माना जो एक लाख से कम नहीं होगा' के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए है" इससे कोई न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम सजा दस वर्ष है। साथ ही बिना किसी अपवाद के एक लाख रुपए जुर्माना लगाने का वैधानिक प्रावधान है।

10. मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम सजा को घटाकर नौ महीने करने का निर्देश देते हैं। जुर्माने की जो रकम जमा होने की बात कही गई है, उसे बरकरार रखा गया है।

11. अपील तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

के.के.टी. **अपील का निस्तारण किया जाता है।**

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **मीना गहलोत (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।